

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची



E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक :- 01 / यो0ब0-49बी0 / 2015- 705

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला / सारण्डा वन प्रमंडल,
चाईबासा / जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर / ।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा ।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला ।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा

दिनांक :- 19.05.2016

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण, तसर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वृक्षारोपण एवं गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल 99.612 लाख (निनान्बे लाख एकसठ हजार दो सौ) रुपये मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / यो0बजट-53 / 2015-53 / स्वी0 व0 प0 दिनांक-06.01.2016 एवं आ0आ0संख्या-04 / यो0बजट-53 / 2015-30 अ0व0प0 दिनांक-25.04.2016 ।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण, तसर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वृक्षारोपण एवं गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल 99.612 लाख (निनान्बे लाख एकसठ हजार दो सौ) रुपये मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना	मजदूरी	19P240601796580103	90.062
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796580323	9.550
कुल आवंटित राशि				99.612

अर्थात् कुल 99.612 लाख (निनान्बे लाख एकसठ हजार दो सौ) रुपये मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित कुल 99.612 लाख (निनान्बे लाख एकसठ हजार दो सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01-वानिकी लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-1 से 5 तक में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. वन प्रमंडलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया गया है तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी है। जिसकी प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को प्राप्त है। राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी द्वारा योजना का कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/ अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी यथा वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा वन

एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या-2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या-819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निर्देशों के साथ अधीनस्थों तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को समर्पित करेंगे।

9. उप-आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी-पत्र- परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों का मूल्यांकन/गुणवत्ता का चयन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराया जायेगा। स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किये गये अनुशंसाओं की एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड एवं सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

13. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा ।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी ।

19. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शार्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

20. प्राक्कलन में अंकित प्रजातियाँ रोपी जाएगी । वनरोपण में Mono Culture के स्थान पर मिश्रित प्रजातियाँ का वनरोपण किया जाएगा तथा एक प्रजाति का वनरोपण में प्रतिशत 33 से अधीक नहीं होगा ।

21. वनरोपण स्थल पर साईनबोर्ड लगायी जायेगी जिसपर आवश्यक सूचना के साथ मजदूरी का दर भी अंकित की जाय एवं न्यूनतम मजदूरी पर का भुगतान सुनिश्चित करायी जाय ।

22. कार्य की गुणवत्ता एवं वनरोपण की सफलता वन प्रमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी । अतः यह अवश्य सुनिश्चित की जाय कि उपलब्ध राशि का सदुपयोग हो ।


23. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे ।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा ।

25. वर्तमान में राशि का उप आवंटन प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है, परन्तु राशि का भुगतान संलग्न कार्य दर के अनुरूप किया जाएगा । शेष राशि अलग से उप आवंटित की जाएगी ।

26. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1 से 5 कार्य दर अनुलग्नक-6 से 10 एवं ऑन लाईन का उप-आवंटन अनुलग्नक-11 पर संलग्न है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची।

26. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1 से 5 कार्य दर अनुलग्नक-6 से 10 एवं ऑन लाईन का उप-आवंटन अनुलग्नक-11 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

६०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-०१/यो०ब०-४९बी०/२०१५ - ७०५, राँची, दिनांक :- १९.०५.२०१६

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/प्रादेशिक अंचल, दुमका/प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


26. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1 से 5 कार्य दर अनुलग्नक-6 से 10 एवं ऑन लाईन का उप-आवंटन अनुलग्नक-11 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्त।

₹०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१/यो०ब०—४९बी०/२०१५ - ७०५, राँची, दिनांक :— १९.०५.२०१६


प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/प्रादेशिक अंचल, दुमका/प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१/यो०ब०—४९बी०/२०१५ - ७०५, राँची, दिनांक :— १९.०५.२०१६

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला—खरसावां/कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/कोषागार पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19/05/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (पुराना नाम भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्र) के अंतर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सात वर्षीय कार्य योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	30	7.357	0.755	8.112
		30	7.357	0.755	8.112
	योग :-	60	14.714	1.510	16.224
2	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	40	9.808	1.006	10.814
कुल योग :-		100	24.522	2.516	27.038

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (पुराना नाम भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्र) के अंतर्गत तसर वृक्षारोपण का सात वर्षीय कार्य योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			37744.62	4087.50	41832.12
i	ii	iii	iv	v	vi
1	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा	50	18.872	2.044	20.916
कुल योग :-		50	18.872	2.044	20.916

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण (पुराना नाम भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्र) के अंतर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सात वर्षीय कार्य योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			35714.67	4087.50	39802.17
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	35	12.500	1.431	13.931
कुल योग :-		35	12.500	1.431	13.931

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू-संरक्षण (पुराना नाम भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्र) कं अंतर्गत गैर वन
भूमि पर वृक्षारोपण का सात वर्षीय कार्य योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			24523.36	2515.00	27038.36
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताडा वन प्रमंडल, जामताडा	40	9.809	1.006	10.815
	कुल योग :-	40	9.809	1.006	10.815


अनु०-५

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू-संरक्षण (पुराना नाम भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्र) कं अंतर्गत अवकृष्ट
वनों पर वृक्षारोपण का सात वर्षीय कार्य योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			15771.98	1725.00	17496.98
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	30	4.732	0.517	5.249
		30	4.732	0.517	5.249
	योग :-	60	9.464	1.034	10.498
3	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	38	5.993	0.656	6.649
	योग :-	98	15.457	1.690	17.147
क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			17804.15	1725.00	19529.15
i	ii	iii	iv	v	vi
4	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा	50	8.902	0.863	9.765
	योग :-	50	8.902	0.863	9.765
	कुल योग :-	148	24.359	2.553	26.912
	सकल योग :-	373	90.062	9.550	99.612


19/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास


झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	21.50	4764.62	0.00	4764.62	
2	वृक्षारोपण	हेठो	36.50	8088.77	0.00	8088.77	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	41.50	9196.82	0.00	9196.82	
4	ट्रैच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2.00	443.22	0.00	443.22	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो तक)	हेठो	9.16	2029.95	0.00	2029.95	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			110.66	24523.36	2515.00	27038.36	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

भूमिक्षारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-5 (क)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	21.50	4764.62	0.00	4764.62	
2	वृक्षारोपण	हेठो	36.50	8088.77	0.00	8088.77	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	41.50	9196.82	0.00	9196.82	
4	ट्रैच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2.00	443.22	0.00	443.22	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हेठो से अधिक)	हेठो	18.32	4059.90	0.00	4059.90	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			119.82	26553.31	2515.00	29068.31	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

भूमिक्षारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	32.5	7202.33	0.00	7202.33	
2	वृक्षारोपण	हेठो	55	12188.55		12188.55	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	62.5	13850.63	0.00	13850.63	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हेठो औसत 6 चैन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हेठो तक	हेठो	9.16	2029.95		2029.95	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			161.16	35714.67	4087.50	39802.17	

Channabhai
19/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास,
B. झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे०

योजना का नाम— भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर—वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हे०	21.50	4764.62	0.00	4764.62	
2	वृक्षारोपण	हे०	36.50	8088.77	0.00	8088.77	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	41.50	9196.82	0.00	9196.82	
4	ट्रैंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2.00	443.22	0.00	443.22	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	हे०	9.16	2029.95	0.00	2029.95	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे० से अधिक)						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			110.66	24523.36	2515.00	27038.36	

Yamankar
19/5/2016
अपर प्रधान मुख्य बैने सरकार, विकास,
Bam, झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर


योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1000 पौधे

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	13	2880.93	0.00	2880.93	
2	वृक्षारोपण	हेठो	22	4875.42		4875.42	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	25	5540.25	0.00	5540.25	
4	ट्रैच के बर्म पर धेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हेठो औसत 5 चेन ट्रैच का धेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हेठो तक	हेठो	9.17	2032.16		2032.16	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			71.17	15771.98	1725.00	17496.98	



 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-8 (क)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर


योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1000 पौधे


मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	13	2880.93	0.00	2880.93	
2	वृक्षारोपण	हेठो	22	4875.42		4875.42	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	25	5540.25	0.00	5540.25	
4	ट्रैच के बर्म पर धेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हेठो औसत 5 चेन ट्रैच का धेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.2	30 हेठो से 60 हेठो तक	हेठो	18.34	4064.33		4064.33	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			80.34	17804.15	1725.00	19529.15	



 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची





गोपनीय सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-49B/2015/705

दिनांक -

19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28880	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	1,471,400.00 रुपये चौदह लाख इकहत्तर हजार चार सौ
2	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28881	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	980,800.00 रुपये नौ लाख अस्ती हजार आठ सौ
3	P 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28882	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA.	2,777,400.00 रुपये सत्ताइस लाख सित्योत्तर हजार चार सौ
				5,229,600.00

योगः

क्रमिक योगः


रुपये बावन लाख उन्तीस हजार छ: सौ



(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796580103	28883	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,849,300.00 रुपये अठारह लाख उनचास हजार तीन सौ
5	P 19 240601796580103	28884	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	980,900.00 रुपये नौ लाख अस्सी हजार नौ सौ
6	P 19 240601796580103	28885	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	946,400.00 रुपये नौ लाख छ्यालीस हजार चार सौ
7	P 19 240601796580323	28886	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	151,000.00 रुपये एक लाख इकावन हजार
योग:				3,927,600.00
क्रमिक योग:				9,157,200.00


(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN (S))
19/5/2016


ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28887	SGHFOR011 SRI.SATISH CHANDRA RAI D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	100,600.00 रुपये एक लाख छ: सौ
9	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28888	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO DIV.CBSA.	290,700.00 रुपये दो लाख नब्बे हजार सात सौ
10	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28889	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	208,700.00 रुपये दो लाख आठ हजार सात सौ
11	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28890	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	100,600.00 रुपये एक लाख छ: सौ
योग:				700,600.00
क्रमिक योग:		रुपये अठानवे लाख सत्तावन हजार आठ सौ		9,857,800.00


(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28891	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	103,400.00 रुपये एक लाख तीन हजार चार से



योगः

103,400.00

क्रमिक योगः

रुपये निन्नानवे लाख इक्सठ हजार दो सौ

9,961,200.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN (F.S))
19/5/2016

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND